क्रम-सं०–318(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर, 2013

अग्रहायण 21, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

संख्या 907/15-9-13-25(30)/2004-टी०सी०

लखनऊ, 12 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

सा०प०नि०–74

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 2000) की धारा–18 की उपधारा–(4) के साथ पठित धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन उक्त परिषद् द्वारा नियुक्त समितियों और उप समितियों के गठन, शक्तियों एवं कर्तव्यों को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियमावली बनाता है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् (समितियों और उप समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) विनियमावली, 2012

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1.01–यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् (समितियों और उप समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 कही जाएगी ।

1.02–यह गजट में प्रकाशन के दिनाँक से लागू होगी।

अध्याय–दो

परिषद् की समितियाँ

2.01–उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों के अतिरिक्त परिषद् भिन्न–भिन्न विषयों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (3) के अधीन पाठ्यक्रम समितियाँ नियुक्त करेगी ।

2.02–किसी पाठ्यक्रम समिति में परिषद् द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाय, तीन से कम तथा सात से अधिक नहीं होगी ।

2.03–किसी विषय की पाठ्यक्रम समिति का गठन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :–

(क) परिषद् के ऐसे सदस्य, जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों,सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम समिति के लिए निर्वाचित किए जाएगें ।

(ख) यदि परिषद् के ऐसे सदस्य,जो सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ हों,पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो बाहर से सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ जिनके नाम का प्रस्ताव परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाय,नियुक्त किए जायेंगे, परन्तु ऐसे विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश में निवास करते हों और सम्बन्धित समिति की सदस्यता स्वीकार करें ।

(ग) संरचनात्मक विषय के पाठ्यक्रम समिति के मामले में,सदस्य ऐसी रीति से नियुक्त किए जाएंगे कि संरचनात्मक वर्ग के प्रत्येक विषय का प्रतिनिधित्व कम से कम तद्विषयक एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाय ।

(घ) जहाँ खण्ड (ख) के अधीन परिषद् के सदस्यों द्वारा किसी विशिष्ट विषय या विषयों के विशेषज्ञों के नाम पर्याप्त संख्या में प्रस्तावित न किए जायें, वहाँ अध्यक्ष को उस विषय या विषयों के विशेषज्ञों को अपेक्षित सीमा तक नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा ।

(ङ) परिषद् का कोई सदस्य या बाहरी विशेषज्ञ दो से अधिक पाठ्यक्रम समितियों में कार्य नहीं करेगा ।

(च) अध्यक्ष को किसी पाठ्यक्रम समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा यदि यह पाया जाय कि सदस्य उस पाठ्यक्रम समिति के उस विषय का विषय विशेषज्ञ नहीं है जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था, परन्तु ऐसी किसी नियुक्ति को तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को यह बताने का अवसर न दे दिया जाय कि वह सम्बन्धित विषय का विशेषज्ञ है ।

स्पष्टीकरण–इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी विषय के विशेषज्ञ का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उत्तर मध्यमा कक्षाओं में प्राध्यापक के रूप में उस विषय को पढ़ाने के लिए विहित न्यूनतम अर्हता धारित करता हो।

2.04–यदि परिषद् के ऐसे सदस्यों की संख्या जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों, या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किसी विषय के बाहरी विशेषज्ञों की संख्या ऐसे विषय के पाठ्यक्रम समिति के गठन के लिए अपेक्षित सदस्य संख्या से अधिक हो तो परिषद् द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

2.05 –परिषद् की प्रत्येक समिति का एक संयोजक होगा जो परिषद् द्वारा सम्बन्धित समिति के सदस्यों में से नामित किया जाएगा,परन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक समिति के संयोजक के रूप में कार्य नहीं करेगा। किसी समिति के संयोजक के पद पर न रहने की स्थिति में, परिषद् का अध्यक्ष सम्बन्धित समिति के सदस्यों में से कार्य संचालन के लिए एक प्रतिस्थानी नामनिर्दिष्ट करेगा जब तक कि परिषद् अध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थानी के रूप में नामनिर्दिष्ट संयोजक का अनुमोदन समिति की शेष अवधि के लिए न कर दे ।

2.06–निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल जैसा कि उ0प्र0 अधिनियम सं0 32, सन 2000 की धारा 5 की उप धारा (1) में निर्धारित है, समाप्त होने के कारण रिक्ति होने की दशा में और परिषद् का गठन सम्भव नहीं था और धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी समिति का पुनर्गठन करना अपेक्षित हो तो इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी ऐसी समिति का गठन विनियमावली में उल्लिखित संख्या से कम सदस्यों से भी किया जा सकता है ।

अध्याय–तीन

पाठ्यक्रम समितियाँ

3.01–परिषद् प्रत्येक विषय की एक पाठ्यक्रम समिति नियुक्त करेगी जिसका वर्गीकरण ऐसे रूप में तथा ऐसे परिवर्धनों एवं परिवर्तनों के साथ किया जायेगा जैसा परिषद् समय–समय पर विनिश्चित करे ।

3.02–प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति परिषद् के विचारार्थ सम्बन्धित विषय का विवरण प्रस्तावित करेगी । उक्त समिति समुचित पुस्तकों को इतनी संख्या में प्रस्तावित भी करेगी जितनी समिति परिषद् द्वारा संस्तुत और नियत किए जाने हेतु ठीक समझे।

3.03–पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें साधारणतया सितम्बर और दिसम्बर के बीच आयोजित होंगी । पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव यथाशीघ्र पाठ्यचर्या समिति को भेजे जायेगें । पाठ्यचर्या समिति प्रस्तावों पर विचार करेगी और अपना सम्प्रेक्षण अंकित करेगी । पाठ्यचर्या समिति के सम्प्रेक्षण के साथ पाठ्यक्रम समिति के प्रस्ताव परिषद् के समक्ष उसकी अगली बैठक में उसके विनिश्चय हेतु रखे जायेंगे।

3.04–परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रम विवरणिका में प्रकाशित किए जायेंगे जिसे परिषद् के सचिव द्वारा उस परीक्षा जिसके लिए वे पाठ्यक्रम विहित किए गए हैं, के दिनाँक से लगभग दो वर्ष पूर्व जारी किया जायेगा :

परन्तु यह कि परिषद् प्रथमा,पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा के लिए या तीनों परीक्षाओं के लिए संयुक्त रूप से विवरणिका प्रकाशित कर सकती है ।

परन्तु यह और कि परिषद् किसी परीक्षा के समस्त विषयों के सम्बन्ध में विवरणिका प्रकाशित करने के बजाय केवल एक या अधिक विषयों के लिए विवरणिका प्रकाशित कर सकती है ।

3.05–(1) परिषद् अपने द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रमों के अनुसार ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिन्हें वह आवश्यक समझे, पाठ्य पुस्तक और अन्य सम्बन्धित सामग्री, यदि कोई हो,तैयार करा सकती है और क्रमशः सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति और अध्यक्ष द्वारा उनका अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात परिषद् राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन उन्हें प्रकाशित करायेगी। तब परिषद् उन्हें पाठ्य पुस्तकों के रूप में विहित करेगी ।

(2) खण्ड (1) के अधीन किसी विषय की प्रत्येक पुस्तक को, जिसके अन्तर्गत संकलन के रूप में मौलिक रचनायें भी हैं, तैयार करने के लिए निम्नलिखित बोर्ड गठित किए जाएगें, अर्थात–

(एक) सम्पादक /लेखक बोर्ड, और

(दो) परामर्शदाता बोर्ड

(3) (क) उपखण्ड (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पादक/लेखक बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

1–एक अध्यापक जो वास्तव में पूर्व मध्यमा कक्षाओं में सम्बन्धित विषय पढ़ाता हो,

2–एक अध्यापक जो वास्तव में उत्तर मध्यमा कक्षाओं से सम्बन्धित विषय पढ़ाता हो,

3–स्नातकोत्तर/ महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का सम्बन्धित विषय का एक अध्यापक,

4–किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक अध्यापक,

5–दो शैक्षिक विशेषज्ञ/विषय–विज्ञ(विशेषज्ञ)।

(ख) प्रथमा अथवा पूर्व मध्यमा कक्षाओं के लिए पुस्तक तैयार करने के लिए गठित सम्पादक/लेखक बोर्ड में, उत्तर मध्यमा कक्षा के किसी अध्यापक को जो सम्बन्धित विषय को पढ़ाता हो,सम्मिलित करना अनिवार्य होगा, किन्तु उत्तर मध्यमा कक्षाओं के लिए पुस्तक तैयार करने के लिए गठित सम्पादक/लेखक बोर्ड में सम्बन्धित विषय का प्रथमा या पूर्व मध्यमा का कोई अध्यापक सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(ग) अध्यक्ष को उपखण्ड (क)में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सम्पादक/लेखक बोर्ड में एक सदस्य, यदि वह आवश्यक समझे,नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी । उसे सम्पादकों/लेखक बोर्ड में किसी रिक्ति को स्वविवेक से, जब कभी रिक्ति घटित हो, भरने की भी शक्ति होगी ।

(4) परामर्शदाता बोर्ड में तीन सदस्य होंगे जो सम्बन्धित विषय के उत्कृष्ट विद्वानों में से नियुक्त किये जायेंगे ।

(5) खण्ड (2) में निर्दिष्ट बोर्ड के गठन के लिए सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति अपेक्षित संख्या के पाँच गुने नाम प्रस्तावित करेगी । अध्यक्ष उक्त पैनल में से प्रत्येक वर्ग के लिए अपेक्षित सदस्यों को नियुक्त करेगा, परन्तु यदि उसकी राय में लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों और विषय विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना आवश्यक हो, तो वह पैनल के बाहर से व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है ।

(6) यदि सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति पुस्तक को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व यदि वह आवश्यक समझे तो वह पाण्डुलिपि को तैयार करने के दौरान सम्पादक/लेखक बोर्ड को अपना सुझाव दे सकती है।

(7) किसी पुस्तक के लिये पाण्डुलिपि अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाने के पश्चात, उसे क्रमशः सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और तत्पश्चात परिषद् उसे राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित करायेगी।

(8) परिषद् द्वारा तैयार की गयी किसी पुस्तक को चार परीक्षाओं तक उसके प्रचलित रहने के पश्चात–पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात बदला जा सकता है, परन्तु उसमें छोटे–मोटे परिवर्तन परिषद् द्वारा जब तथा जैसा आवश्यक हो, किये जा सकते हैं ।

3.06–विनियम 3.05 में किसी बात के होते हुए भी जब कभी भी परिषद् आवश्यक समझे वह राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने द्वारा संचालित परीक्षा की एक वर्ष की अवधि के लिए किसी विषय में पुस्तकें आमंत्रित कर सकती है । यदि परिषद् कोई घोषणा गजट में प्रकाशित कराना चाहती है तो वह पाठ्यपुस्तक को पाठ्यक्रम समिति के समक्ष उसकी समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकती है । ऐसे मामलों में पुस्तकें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा समीक्षकों को शुल्क का भुगतान अग्रलिखित रीति से होगा :

(1) पाठ्यक्रम समिति अपेक्षित संख्या के समीक्षकों के कम से कम तिगुने नामों की सूची तैयार करेगी और जो सचिव द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी । जिन समीक्षकों का नाम सूची में सम्मिलित किया जायेगा वे उस विषय में भली–भाँति अर्हता प्राप्त होंगे, जिसमें पुस्तक की समीक्षा की जानी है । समीक्षकों की नियुक्ति ऐसी सूची में से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

(2) पाठ्यक्रम समिति का कोई भी सदस्य उस समिति में विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तकों का समीक्षक नहीं होगा।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय में परिषद् अथवा पाठ्यचर्या समिति अथवा पाठ्यक्रम समिति का सदस्य हो वहाँ, परिषद् के उस विषय में पुस्तक आमंत्रित करने के निर्णय के एक मास पश्चात् किसी समय तथा परिषद् द्वारा ऐसे पुस्तक को स्वीकृत अथवा नियत किए जाने से पूर्व, उसकी ऐसी कोई पुस्तक, जिसका कि वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा परिषद् के मत में जिनमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित निहित है, उस विषय में परिषद् की किसी भी परीक्षा के लिए विचार किए जाने योग्य न होगी ।

(4) कोई व्यक्ति जिसने विचारार्थ पुस्तक प्रस्तुत की है उस समय तक समीक्षक नहीं होगा, जब तक कि उसकी पुस्तक विचाराधीन है।

(5) समीक्षकों, प्रकाशकों तथा लेखकों के नामों के सम्बन्ध में यथोचित गोपनीयता बनाये रखी जाएगी । प्रत्येक समीक्षक पुस्तक के गुणों और दोषों का विवरण विस्तार से प्रस्तुत करेगा। यदि पुस्तक अस्वीकृत की जाती है तो समीक्षक अपनी राय लिखित रूप से व्यक्त करेगा ।

(6) प्रत्येक समीक्षक समुचित पुस्तकों को उनके गुण तथा दोष के क्रम में व्यवस्थित करेगा ।

(7) पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा कक्षाओं की प्रत्येक पुस्तक के लिये पारिश्रमिक निम्नलिखित रीति से दिया जायेगा :–

प्रथमा और पूर्व मध्यमा

30 रुपये, यदि पाठ्यपुस्तक में 100 पृष्ठ तक हैं ।

45 रुपये, यदि पाठ्यपुस्तक में 100 पृष्ठ से अधिक किन्तु 200 पृष्ठ से अनधिक हैं।

60 रुपये, यदि पाठ्यपुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक हैं ।

उत्तर मध्यमा

40 रुपये,यदि पाठ्यपुस्तक में 100 पृष्ठ तक हैं ।

55 रुपये,यदि पाठ्यपुस्तक में 100 पृष्ठ से अधिक किन्तु 200 पृष्ठ से अनधिक हैं ।

75 रुपये,यदि पाठ्यपुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक हैं ।

(8) प्रत्येक पुस्तक की समीक्षा तीन समीक्षकों के पैनल द्वारा की जाएगी।

(9) लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से समीक्षा शुल्क का भुगतान किया जायेगा :–

प्रथमा और पूर्व मध्यमा

भाषा विषय की प्रत्येक पाठ्य–पुस्तक के लिए 300 रुपये ।

भाषा विषय की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिए 200 रुपये ।

अन्य विषय की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए 200 रुपये ।

उत्तर मध्यमा

भाषा विषय की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए 350 रुपये ।

भाषा विषय की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिए 250 रुपये ।

अन्य विषय की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए 250 रुपये ।

(10) प्रकाशकों तथा लेखकों द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा, किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन रु0 20 की कटौती के पश्चात शुल्क वापस कर दिया जायेगा :–

(क) जब समीक्षा शुल्क अनुज्ञेय न हो, किन्तु यह भुगतान किया गया था ।

(ख) जब पाठ्य पुस्तक की समीक्षा नहीं की जाती है, जबकि प्रकाशकों तथा लेखकों द्वारा समीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया था।

(ग) जहाँ उन पुस्तकों के लिये समीक्षा शुल्क जमा किया गया था, जिन्हे प्रस्तुत करने हेतु नहीं कहा गया था ।

(घ) जहाँ समीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया था परन्तु परिषद् को पाठ्य पुस्तक नहीं उपलब्ध करवायी गयी थी।

3.07–इस अध्याय के विनियमों में किसी बात के होते हुए भी परिषद् को किसी वर्ष की परीक्षा के लिए कोई पुस्तक अथवा पुस्तकें नियत अथवा अनुमोदित करने का प्राधिकार होगा ।

3.08–कोई समिति सम्बन्धित विषय अथवा विषयों के सम्बन्ध में परीक्षा और पाठ्यक्रम विषय या विषयों से सम्बन्धित किसी मामले की ओर परिषद् का ध्यान आकृष्ट कर सकती है ।

3.09–परिषद् के अनुरोध पर किन्हीं दो अथवा अधिक पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें आयोजित की जा सकती हैं और किसी मामले पर, जिससे वे अलग–अलग अथवा संयुक्त रूप से सम्बन्धित है,संयुक्त रिपोर्ट दे सकती है।

अध्याय–चार

पाठ्यचर्या–समिति

4.01–पाठ्यचर्या समिति में निम्नलिखित होंगे –

(1) ऐसी रीति से निर्वाचित परिषद् के पाँच सदस्य कि कम से कम एक सदस्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) में विर्निदिष्ट पाँच श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेगा,

(2) विभाग के विशिष्ट संस्थाओं के निदेशक/प्रधानाचार्य और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधि जो परिषद् के सदस्य हों,

(3) उन विषयों से भिन्न जिनमें निर्वाचन के पूववर्ती वर्ष में रजिस्ट्रीकृत उम्मीदवारों की संख्या हाई स्कूल परीक्षा में पचास हजार से कम हो, विभिन्न विषय पाठ्यक्रम समितियों के संयोजक, परन्तु वे परिषद् के सदस्य हों,

(4) परिषद् का सचिव पदेन सदस्य–सचिव के रूप में ।

4.02–परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अध्यधीन पाठ्यचर्या समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) परिषद् की प्रत्येक परीक्षा के अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों की कुल संख्या पर विचार करना,

(ख) प्रथमा, पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा सोपानों के पाठ्यक्रमों के मानकों को नियमित श्रेणीक्रम में व्यवस्थित करना,

(ग) इण्टरमीडियट परीक्षा के लिए ऐसी पाठ्यचर्या की संस्तुति करना जिससे कि विश्वविद्यालयी और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त हो सके,

(घ) नये विषयों को प्रवेश करने और विद्यमान विषयों को अपवर्जित करने के प्रस्तावों पर विचार करना,

(ङ) विषयों का वर्ग बनाने और एक वर्ग को दूसरे से परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार करना,

(च) सम्बन्धित पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुतियाँ प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय में बनाये जाने वाले प्रश्न-पत्रों की संख्या निश्चित करना और प्रत्येक प्रश्न–पत्र के लिए समयावधि निश्चित करना,

(छ) सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति से संस्तुतियाँ प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय और किसी विषय के प्रत्येक भाग के लिए अधिकतम और न्यूनतम अंक प्रस्तावित करना,

(ज) सम्बन्धित पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुतियाँ प्राप्त होने के पश्चात विभिन्न विषयों में लिखित परीक्षा के विस्तार के मानक की संस्तुति करना,

(झ) अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना; और

(ञ) अध्यापकों, संस्थाओं के प्रधानों और संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों के लिए न्यूनतम अर्हतायें विहित करना।"

अध्याय–पाँच

परीक्षा समिति

5.01–परीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :–

(क) ऐसी रीति से निर्वाचित परिषद् के पाँच सदस्य कि कम से कम एक सदस्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट पाँच श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेगा ।

(ख) परिषद् का सचिव समिति का पदेन संयोजक होगा ।

5.02–परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अध्यधीन परीक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :

(1) परिषद् की परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए तिथियों की संस्तुति करना, परन्तु किसी अकल्पित परिस्थिति या घटना में अध्यक्ष को परीक्षा की किसी तिथि में परिवर्तन करने या किसी विषय या प्रश्नपत्र में परीक्षा को निरस्त करने का आदेश देने या उस विषय या प्रश्न–पत्र में फिर से परीक्षा का आयोजन करने की शक्ति होगी,

(2) परीक्षकों, अनुसीमक बोर्ड की नियुक्ति के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना और परिषद् के अनुमोदनार्थ परीक्षकों और अनुसीमकों की सूची तैयार करना,

(3) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए सारणीयक (टेबुलेटर) और मिलान कर्ता (कोलेटरों) के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नामों की संस्तुति करना,

(4) ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन पर परिषद् की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का सन्देह हो या उक्त के संबंध में रिपोर्ट की गयी हो, उत्तर पुस्तिकाओं की छानबीन के लिए प्रतिच्छादक के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना,

(5) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रारूप विहित करना,

(6) परिषद् की परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों का प्रारूप विहित करना,

(7) मौखिक और कियात्मक परीक्षा के आयोजित किये जाने की पद्धति विहित करना,

(8) परीक्षा केन्द्रों, मूल्याँकन केन्द्रों और संग्रह केन्द्रों को स्थापित करने के बारे में नीति के निर्माण के लिए संस्तुति प्रदान करना,

परन्तु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक परीक्षा केन्द्रों को स्थापित करने के लिए, अपने सभापतित्व के अधीन गठित उप समिति के माध्यम से निम्नलिखित रीति से प्रस्ताव करेगा :–

(एक) सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक,

(दो) मण्डलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें,

परन्तु यह और कि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा गठित ऊपर उल्लिखित उप समिति जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक निम्नाँकित रूप में गठित उप समिति की सहायता से निर्मित करेंगे :–

(एक) जिला विद्यालय निरीक्षक –अध्यक्ष

(दो) जिले के राजकीय इण्टर कालेज का एक ज्येष्ठ प्रधानाचार्य –सदस्य

(तीन) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी –सदस्य

(चार) माध्यमिक संस्कृत विद्यालय का एक ज्येष्ठ प्रधानाचार्य –सदस्य

परन्तु यह और कि किसी परीक्षा केन्द्र, मूल्याँकन केन्द्र अथवा संग्रहण केन्द्र को परिस्थितियों के अधीन यथा अपेक्षित परिवर्तित करने या गठित करने अथवा विघटित करने की शक्ति परिषद के सचिव के पास होगी ।

(9) अनुग्रहांक देने के लिए नियम बनाना,

(10) परीक्षार्थियों को श्रुतलेखक देने के लिए नियम बनाना,

(11) परिषद् की परीक्षाओं के परिणाम को प्रकाशित करने के लिए प्रबन्ध करना,

(12) किसी कदाचार या उपेक्षा के लिए दोषी पाये गए परीक्षार्थियों, अनुसीमकों, संकलनकर्ताओं और मिलानकर्ताओं को दिए जाने वाले दण्ड की संस्तुति करना,

(13) परिषद द्वारा समनुदेशित परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अन्य विषय के बारे में विचार करना और संस्तुति देना,

(14) परिषद की परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र की छान–बीन के लिए एक उप–समिति नियुक्त करना और परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करना ।

अध्याय–छः

अनुचित साधनों के मामलों की निस्तारण समिति

6.01–परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों के निस्तारण के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति होगी। समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(1) परीक्षा समिति अथवा परिणाम समिति का एक सदस्य, जो समिति का संयोजक होगा;

(2) परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य ।

(3) सचिव द्वारा नामित किया जाने वाला परिषद का एक उप सचिव।

समिति की शक्तियाँ और कृत्य

6.02–(1) ऐसे मामलों, जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन-पत्र में मिथ्या कथन किया हो या किसी परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के निमित्त नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो या किसी भी अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या प्रयोग करने का सन्देह हो या परीक्षा के दौरान कपट या किसी नैतिक अधमता के अपराध से अन्तर्ग्रस्त या अनुशासनहीनता का अपराध किया हो या नियमों का उल्लंघन कर किसी लिपिक की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या उत्तर पुस्तिका लेकर भाग गया हो या उत्तर पुस्तिका नष्ट कर दी हो, पर विचार करना और शास्ति देना जो निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक हो सकती है :–

(क) सम्बन्धित परीक्षा का निरसन;

(ख) सम्बन्धित परीक्षा अथवा उत्तरवर्ती परीक्षा से जिनमें परिषद् की उच्चतर परीक्षा भी सम्मिलित है से अपवर्जन;

(ग) परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण–पत्र का प्रत्याहरण,

(2) केन्द्र अधीक्षक, संस्था के प्रधान, अन्तरीक्षक, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध परिषद् की परीक्षा में की गई उनकी किसी चूक, उपेक्षा या अनियमितता के संबंध में शिकायतों पर विचार करना और उनमें से किसी को दिए जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में संस्तुति करना,

(3) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट नहीं है,

(4) अन्य ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करना जो समय–समय पर इसे परिषद द्वारा समनुदेशित किये जायें।

अध्याय–सात

परिणाम समिति

7.01–परिणाम समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :–

(क) परिषद् का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष के रूप में ,

(ख) परिषद् के निर्वाचित होने वाले पाँच सदस्य जिनका चयन ऐसी रीति से किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) की श्रेणियों में विनिर्दिष्ट है। प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो।

(ग) परिषद् का सचिव पदेन सदस्य सचिव होगा ।

7.02–परिषद् की स्वीकृति एवं नियंत्रण के अधीन परिणाम समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:–

(1) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणाम की समीक्षा करना एवं उसे घोषित करना तथा आवश्यकतानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक कम करना ।

(2) प्रश्नपत्रों के विरुद्ध ऐसी शिकायतों की समीक्षा करना जो परीक्षा परिणाम प्रभावित करते हैं।

(3) उन परीक्षार्थियों के बारे में विनिश्चय करना जो क्रियात्मक अथवा लिखित परीक्षा में एक अथवा दो प्रश्न पत्रों में अथवा संपूर्ण विषय में सम्मिलित होने में असमर्थ रहे ।

(4) त्रुटिपूर्ण प्रश्नपत्रों के मामलों का विनिश्चय करना।

(5) उन परीक्षार्थियों के मामलों में विनिश्चय करना जिन्हें केन्द्र अधीक्षकों द्वारा परीक्षा अवधि के आधा घन्टे के पश्चात प्रवेश की अनुमति दी गयी थी ।

(6) किसी जिले की परीक्षाओं की विशेष व्यवस्था के बारे में विनिश्चय करना ।

(7) प्रश्नपत्र निर्धारित समय से पूर्व खोलने और परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय प्रदान करने के मामलों में विनिश्चय करना।

(8) उन अभ्यर्थियों के बारे में विनिश्चय करना जिनकी उत्तर पुस्तिकायें खो गयी हैं या जो परिणाम घोषित किए जाने के दो माह की अवधि के पश्चात न पायी गई हों ।

(9) परीक्षार्थियों द्वारा तथ्य छिपाने, आवेदनपत्र में मिथ्या कथन या अन्यायपूर्ण रीति के माध्यम से प्रवेश पाने या परीक्षाओं में अविधिमान्य साधनों का प्रयोग, नैतिक अधमता का अपराध अथवा अनुशासनहीनता के मामलों में परिणाम रोकना ।

(10) घातक शस्त्र ले जाने या परीक्षा संचालन से सम्बन्धित किसी व्यक्ति पर, शैक्षणिक परिसर के अन्दर अथवा बाहर,हमला करने या हमला करने की धमकी देने या प्रतिसिद्ध भाषा का प्रयोग करने या मिथ्या आधार पर परिणाम घोषित किये जाने की सुविधा प्राप्त करने के मामले में परिणाम रोकना।

(11) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जिन्हें परिषद् द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किया जाय ।

अध्याय–आठ

वित्त–समिति

8.01–वित्त समिति परिषद् के वित्त संबंधी समस्त मामलों में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी।

8.02–वित्त समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(क) परिषद् का एक सदस्य जो राज्य विधान सभा का सदस्य हो–संयोजक।

(ख) परिषद् के पाँच सदस्य जो ऐसी रीति से निर्वाचित किये जाएंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पाँच श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय।

(ग) परिषद् का सचिव उसका पदेन सदस्य सचिव होगा।

8.03–वित्त समिति परिषद् के विचारार्थ विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य बातों के लिये प्रभारित की जाने वाली शुल्क की धनराशि के लिए संस्तुति करेगी।

8.04–वित्त समिति परिषद् के विचारार्थ परिषद् के विभिन्न पारिश्रमिक वाले कार्यों के लिये पारिश्रमिक दरों की भी संस्तुति करेगी।

8.05–वित्त समिति परिषद् द्वारा उसे सन्दर्भित किये गये परिषद् सम्बन्धी किसी अन्य वित्तीय मामले के सम्बन्ध में विचार करेगी और अपनी संस्तुति देगी।

अध्याय–नौ

मान्यता–समिति

9.01–मान्यता समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(1) परिषद् के पाँच सदस्य जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी का प्रतिनिधित्व हो जाय ।

(2) परिषद् का सचिव समिति का पदेन सदस्य होगा।

9.02–मान्यता समिति की बैठक परिषद् के सचिव के लखनऊ स्थित कार्यालय में आयोजित की जायेगी परन्तु विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन मान्यता समिति की बैठक परिषद् के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकती है ।

9.03–परिषद् के अनुमोदन और नियंत्रण के अधीन रहते हुये मान्यता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(1) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मानक और नियम विहित करना, प्रतिबन्ध यह है कि मानक और नियम राज्य सरकार के अनुमोदन होने के पश्चात लागू होंगे ।

(2) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करना।

(3) परिषद् द्वारा उसे प्रतिनिहित किए गये किसी मामले पर विचार करना।

स्पष्टीकरण–"मान्यता प्रदान करना" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रथमबार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षाओं के लिए किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय के लिये मान्यता प्रदान करने से है ।

9.04–(क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र पर दिया जायेगा जो सम्यक रूप से भरा जायेगा और सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उस वर्ष के, जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष के 31 दिसम्बर के अपश्चात् तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुंच जाना चाहिए । 01 जनवरी से 31 मार्च तक रु0 5,000/– विलम्ब शुल्क के साथ आवेदनपत्र प्राप्त किये जा सकेंगें । 31 मार्च के पश्चात प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) परिषद् के सचिव द्वारा मान्यता के आवेदन पत्र तब तक स्वीकार नहीं किये जायेंगे जब तक सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट फीस के साथ आवेदन दाखिल करने के सबूत के रूप में निम्न प्रकार से न संलग्न हो :–

(एक) प्रथम बार प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा– रु0 10,000/–

(दो) प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा में अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त– रु0 2,500/–

(ग) किसी भी प्रकार से अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

9.05–विनियम 9.04 के अधीन मान्यता के लिए आवेदनपत्र की दो प्रतियाँ प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसी जाँच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे, आवेदनपत्र की द्वितीय प्रति कार्यालय अभिलेखों के रूप में रखते हुए एक प्रति पर मान्यता के लिए संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में रिपोर्ट और संस्तुति सहित उसे परिषद् के सचिव के पास भेजेगा ।

परन्तु मान्यता समिति के समक्ष मान्यता का आवेदनपत्र भेजे जाने के पूर्व निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति भी जो उप निदेशक शिक्षा से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, जहाँ आवश्यक हो संस्था की मान्यता के लिए उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट और संस्तुति प्रस्तुत कर सकता है ।

9.06–मान्यता के लिए आवेदनपत्र में निम्नलिखित विवरण विस्तार से दिये जायेंगे:–

(क) क्या उस क्षेत्र में संस्था के लिए वास्तविक आवश्यकता है?

(ख) प्रबन्ध समिति के उप नियम, यदि कोई हो ।

(ग) संस्था के प्रबन्धक तथा सचिव के नाम अथवा पत्रव्यवहार के लिए सशक्त किये गये व्यक्ति का नाम ।

(घ) अध्यापकों की अर्हतायें एवं वेतनमान ।

(ङ) कक्षाओं तथा छात्रावासों के स्थान की व्यवस्था ।

(च) आय के स्रोतों सहित संस्था की वित्तीय स्थिति

(छ) प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या

(ज) क्या निर्धन छात्रों के प्रवेश के लिए कोई मानदण्ड है और प्रभारित किया जाने वाला शुल्क।

(झ) साज–सज्जा, फर्नीचर एवं पर्याप्त पुस्तकालय के उपबन्ध ।

(ञ) छात्रों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन तथा खेल के मैदान की व्यवस्था ।

(ट) परीक्षा अथवा परीक्षाओं का नाम जिनके लिए मान्यता अपेक्षित है ।

(ठ) संस्था हेतु भूमि, भवन की उपलब्धता तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीड़ास्थल का समिति या ट्रस्ट के स्वामित्वाधीन भूमि/भवन/क्रीड़ा स्थल की रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की प्रमाणित छाया प्रति तथा खतौनी, जो राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(ड) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में विहित सुरक्षा मानकों के अनुसार होना चाहिए ।

(ढ) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपस्करों की व्यवस्था होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिए ।

9.07–परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में वाँछित कोई अन्य सूचनायें।

9.08–रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय निरीक्षण अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करेगा कि उसके दृष्टिकोण से विषयों के लिए मान्यता दी जाय अथवा नहीं।

9.09–प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था निम्नाँकित शर्तों का पालन करेगी :–

(क) सोसाइटी या ट्रस्ट जो माध्यमिक संस्कृत संस्था की स्थापना करना चाहती है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत होगी।

(ख) संस्था को उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) व (2) के अधीन प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा के निरीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए।

(ग) परिषद् द्वारा पूछी गयी सभी प्रकार की सूचनायें तद्नुसार प्रदान की जायेंगी ।

(घ) संस्था, लागू शिक्षा संहिता का पालन करेगी जो अधिनियम एवं विनियमावली से असंगत न हों और तद्नुसार कार्य करेगी ।

(ङ) किसी संस्था की विन्यास निधि सावधि जमा अथवा दस वर्षीय सुरक्षा ज़मा प्रमाणपत्र अथवा दस वर्षीय ट्रेजरी बचत जमा प्रमाणपत्र के रूप में या इसी प्रकार के ऐसे अन्य रूपों में होगा जिनमें ब्याज वास्तव में प्रति वर्ष दिया जाता है और कई वर्षों के लिए एकत्र नहीं होने दिया जाता है। विन्यास निधि की वार्षिक आय व उपार्जित ब्याज संस्था के अनुरक्षण कोष में प्रबन्ध तंत्र द्वारा नियमित रूप से जमा किया जायेगा । विन्यास निधि संस्था के नाम से समस्त दायित्वों से मुक्त होनी चाहिए । विन्यास निधि सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम से प्रतिभुत (प्लेज्ड) की जानी चाहिए।

(च) संस्था की आरक्षित सम्पत्ति नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में होगी जो जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम से प्रतिभुत (प्लेज्ड) कर दी जायेगी ।

(छ) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा उपबन्ध न कर दे, कोई संस्था किसी प्रतिद्वन्दी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उसमें बैठने की अनुमति देगी।

(ज) संस्था छात्रावास के निवासियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं स्वच्छता की व्यवस्था करेगी।

(झ) संस्था परिषद् द्वारा निर्देशित किए जाने पर अध्यापक, भवन एवं उपस्कर आदि परिषद् के लिए उपलब्ध करायेगी।

(ञ) जिला विद्यालय निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना कक्षायें परिसर के बाहर नहीं व्यवस्थित की जायेंगी।

(ट) किसी विषय अथवा वर्ग में परिषद् की मान्यता के बिना कक्षायें नहीं खोली जायेंगी।

9.10–यदि परिषद् की राय हो कि कोई संस्था मान्यता प्रदान किये जाने के योग्य है तो वह परिषद् के सचिव को आदेश दे सकेगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में सम्मिलित कर ले । परिषद् का सचिव जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करेगा कि किन-किन विषयों में किन शर्तो पर तथा किस वर्ष की परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्रदान की गयी है । परन्तु परिषद् किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने से मना कर सकती है ,जब परिषद् के निदेशक ने अपनी संस्तुति विधारित कर दी हो ।

9.11–कोई संस्था जो प्रथमा, पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा के रूप में परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं की जायेगी जब तक कि बन्द किए जाने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस, जिसमें संस्था के बन्द करने के कारणों को उल्लिखित किया जाएगा,परिषद् के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय । परिषद् संस्था को बन्द करने की और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा ऐसी शर्तों पर दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

9.12–(क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4(क) के अधीन किसी संस्था की किसी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए परिषद् को सन्दर्भित करता है, तो परिषद्, संस्था के प्रबन्धक को कारण बताने के लिये नोटिस जारी करेगी कि मान्यता वापस क्यों न ले ली जाय ।

(ख) प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात परिषद् या तो मान्यता का प्रत्याहरण करेगी अथवा प्रबन्धक को नियत समय के भीतर दोषों को दूर करने की चेतावनी निर्गत कर सकती है।

(ग) यदि नियत समय के भीतर संस्था दोषों को दूर करने में असफल रहती है तो परिषद् संस्था की मान्यता वापस ले सकती है ।

9.13–निदेशक की संस्तुति पर परिषद् संस्था का नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः सम्मिलित कर सकती है ।

मान्यता के लिये मानक

(1) भूमि का क्षेत्रफल :

प्रथमा, पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा की मान्यता के लिये संस्था के पास ग्रामीण क्षेत्रों में 650 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि जिसमें 162 वर्ग मीटर क्षेत्रफल खेल के मैदान के लिए है, होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में संस्था के पास 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि जिसमें 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल खेल के मैदान के लिये है, होना चाहिए।

(2) भवन :

(क) प्रत्येक कक्षा के लिए संस्था के पास 15 X 20 =300 वर्गफीट के कमरे होना चाहिये ।

(ख) 15 X 20 =300 वर्गफीट का एक पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष

(ग) प्रशासकीय कक्ष :

(1) प्रधानाचार्य कक्ष	12 X 10 वर्गफीट
(2) अध्यापक कक्ष	12 X 10 वर्गफीट
(3) कार्यालय	12 X 10 वर्गफीट.
(4) स्टोर रुम	10 X 15 वर्गफीट
(5) प्रयोगशाला	15 X 20 वर्गफीट
(6) वैकल्पिक कक्ष	10 X 15 वर्गफीट

(घ) छत का विवरण :

(1) पक्की अथवा

(2) ऐसबेस्टस अथवा

(3) टिन शेड

(4) फर्श पक्का होना चाहिए

(ङ) मान्यता के लिए किराये के भवन पर विचार नहीं किया जायेगा । प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा के अतिरिक्त श्रेणी के विषयों की मान्यता के लिए अन्य आवश्यकताएँ पूर्ण करने के बाद आवेदन पर परिषद् इस दृष्टि से विचार करेगी कि मान्यता हेतु पहले से भवन की आवश्यकताएं पूरी हैं ।

(च) संस्था में अध्यापकों एवं छात्रों के लिए प्रसाधन तथा शौचालयों की पृथक–पृथक पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(3) काष्ठोपकरण :

प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा की कक्षाओं के लिए एक सीट वाले डेस्कों तथा कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी ।

संस्था के प्रधानाचार्य, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए कुर्सियों, मेजों तथा श्याम पटों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी ।

(4) पुस्तकालय :

रु0 2,000/– की पुस्तकें होंगी । इसके अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त अनुभाग के लिए रु0 200/– की पुस्तकों की व्यवस्था होगी ।

(5) अध्यापन सामग्री :

रु0 500/–के मानचित्र तथा चार्ट की व्यवस्था की जायेगी ।

(6) छात्र संख्या :

प्रथमा कक्षाओं में 30 छात्र, पूर्व मध्यमा कक्षाओं में 35 छात्र तथा उत्तर मध्यमा कक्षाओं में कम से कम 40 छात्रों का नामाँकन किया जायेगा ।

अध्याय–दस

सामान्य नियम

10.01–मान्यता के लिए इच्छुक संस्थाओं के पास उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा यथा विनिश्चित अर्हताधारी अध्यापक होने चाहिए ।

10.02–पूर्व मध्यमा के लिए रु015000.00 उत्तर मध्यमा के लिए रु05000.00 अतिरिक्त जिसमें से क्रमशः वार्षिक आय रु0 900.00 तथा रु0 1200.00हो, की अतिरिक्त विन्यास निधि होगी।

10.03–5 किलोमीटर के अर्धव्यास में अन्य संस्कृत विद्यालय को मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी।

10.04–आगामी दो वर्षों तक संस्था को उच्चतर कक्षाओं की मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी, जहाँ 5% अथवा 25 छात्र (जो भी अधिक हो) अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए दण्डित किए गए हों ।

10.05–उन संस्कृत संस्थाओं में उच्चतर कक्षाओं की मान्यता के लिए कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरुपयोग होता हो और अनुशासनहीनता अथवा अव्यवस्था हो ।

10.06–उस संस्था की उच्चतर कक्षाओं की अग्रतर मान्यता पर कोई विचार नहीं किया जायेगा जिनमें अनधिकृत कक्षायें संचालित हो रही हों ।

10.07–वर्ष की 31 मार्च के उपरान्त मान्यता के लिये प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर परिषद् द्वारा विचार नहीं किया जायेगा । मान्यता के मामलों का विनिश्चय उस वर्ष के 31 मई तक किया जायेगा। इस दिनांक के पश्चात कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

10.08–प्रथमा, पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा की मान्यता पृथक–पृथक प्रदान की जायेगी।

10.09–परिषद् निम्नाँकित परीक्षायें संचालित करेगी :–

(क) प्रथमा

(ख) पूर्व मध्यमा

(ग) उत्तर मध्यमा

10.10–परिषद् की परीक्षायें परिषद् द्वारा विनिश्चित तिथियों, समय और स्थानों पर आयोजित की जायेगी।

10.11–परिषद् की परीक्षायें अंशतः मौखिक तथा कियात्मक और अंशतः लिखित होंगी। मौखिक तथा क्रियात्मक परीक्षायें परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर स्थापित प्रकिया के अनुसार परिषद् द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा संचालित की जायेंगी । लिखित परीक्षा प्रश्न–पत्रों द्वारा होंगी तथा प्रश्न–पत्र प्रत्येक केन्द्र पर, जहाँ परीक्षा आयोजित होनी है, एक ही समय पर वितरित किये जायेंगे ।

10.12–परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र परीक्षार्थियों को तब तक नहीं दिये जायेंगे जब तक वे विनियमावली द्वारा यथा विनिश्चित प्रत्येक विषय में अर्ह न हो जायें ।

परन्तु यदि कोई परीक्षार्थी अपात्र पाया जाय तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्रत्याहरित अथवा निरस्त कर दिया जायेगा ।

10.13–ऐसी सम्पत्ति का जो शैक्षिक संस्था की हो या उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित हो, अन्तरण तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कि निदेशक की लिखित पूर्व अनुमति इस आधार पर प्राप्त न कर ली जाय कि उक्त अन्तरण संस्था के हित में आवश्यक या लाभप्रद या समीचीन है ।

10.14–संस्था के नाम परिवर्तन के लिए संस्था का प्रबन्धक नाम परिवर्तन किए जाने के प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की सत्यापित प्रति सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । जिला विद्यालय निरीक्षक 15 दिनों के भीतर अपनी संस्तुति सचिव, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेगा । परिषद् का सचिव नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मान्यता समिति के समक्ष रखेगा तथा समिति की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिये नियम

10.15–(1) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी, संस्था के प्रधान को विलम्बतम उस वर्ष 31 जुलाई तक परीक्षा के लिये नियत शुल्क प्रस्तुत करेंगे तथा जिन विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिये ले रहे हैं स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र भरेंगे।

नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।

संस्थागत छात्र को किसी संस्था से अपना आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् संस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता–पिता के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गए स्थानान्तरण से सम्बन्धित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात अनुज्ञा न दे दी हो ।

(2) संस्था का प्रधान आवेदन पत्र रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सहित परिषद् के सचिव को भेजेगा । 30 सितम्बर के बाद आवेदन पत्र भेजने की दशा में संस्था का प्रधान रु0 20 प्रति आवेदन पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा ।

(3) संस्था का प्रधान आवेदन-पत्र विलम्ब शुल्क के साथ 10 नवम्बर तक भेजेगा।

(4) परिषद् का सचिव आवेदन पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा । विलम्ब की दशा में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा ।

(5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेगा :–

(क) यह प्रमाणपत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद् की विनियमावली के अनुसार किया गया है ।

(ख) यह प्रमाणपत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पूरा किया है ।

(ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यासों को पूरा किया है ।

(घ) वे छात्र जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में किसी संस्था से दो बार अनुत्तीर्ण हो चुके हैं,उन्हें किसी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उपस्थिति

10.16–(1) संस्था प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी इनमें परीक्षाओं तथा पाठ्य सहगामी कियाकलाप के दिवस भी सम्मिलित रहेंगे ।

(2) प्रथमा तथा पूर्व मध्यमा के किसी भी छात्र को परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह दो शैक्षणिक सत्रों के मध्य नियत व्याख्यानों में से कुल का 75 प्रतिशत में उपस्थित न हुआ हो।

(3) उत्तर मध्यमा के किसी भी छात्र को परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी,जब तक वह दो शैक्षणिक सत्रों में प्रत्येक विषय में जिसमें परीक्षा होनी है, में नियत 75% व्याख्यानों जिसमें कियात्मक कार्य यदि कोई हो,सम्मिलित है, में उपस्थित न हुआ हो ।

(4) उपर्युक्त व्याख्यानों के परिगणन के लिए एक व्याख्यान का तात्पर्य संस्था के समय–सारिणी में अनुमन्य अध्यापन/कियात्मक अवधि से है।

(5) उपस्थिति परिगणन में यह संस्था के प्रधान के विवेकाधीन है कि जो छात्र पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा में एक वर्ष से अधिक अध्ययन कर चुके हों, उपस्थिति परिगणन में पूर्व मध्यमा–II या उत्तर मध्यमा–II की कक्षाओं की किसी एक वर्ष की उपस्थिति परिगणित करे । जिन छात्रों को नेशनल कैडेट कोर,प्रादेशिक सेवा दल अथवा प्रादेशिक आर्मी कैम्प अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विस्तार सेवा,अथवा सेन्ट जॉन एम्बुलेन्स शिविर में अथवा क्रीड़ा अथवा शैक्षिक परिभ्रमण में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई हो,कक्षा में उपस्थिति के लिए वाँछित लाभ दिया जायेगा

पुनश्च– इस विनियम के अधीन कक्षा में उपस्थिति का लाभ टिप्पणी सहित दिखाया जायेगा । इस प्रकार के लाभ का समस्त लेखा भली भाँति रखा जायेगा।

(6) वे छात्र जो परिषद् की प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा में अनुत्तीर्ण अथवा निरुध्द होते हैं,उनकी उपस्थिति का प्रतिशत उस वर्ष का प्रतिशत परिगणित किया जाएगा जिसमें वे परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं।

परन्तु वे छात्र जिन्होंने परिषद् की पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन किया हो,और उनके नाम संस्था की उपस्थिति पंजी में हों अथवा आवेदन पत्रों के भरने के पश्चात परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों,दो शैक्षिक सत्रों का प्रतिशत परिगणित किया जाएगा ।

"निरुध्द" का तात्पर्य किसी वैध कारण से प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा में सम्मिलित होने की अनुमति न दिये जाने से है ।

(7) परिषद् के अधिक्षेत्र से बाहर किसी संस्था में उपस्थिति प्रथमा अथवा पूर्व मध्यमा की परीक्षा के लिए छात्र की उपस्थिति परिगणित कर ली जाएगी ।

(8) प्रथमा या पूर्व मध्यमा में सन्निरीक्षा के फलस्वरूप सफल घोषित छात्रों के सम्बन्ध में शैक्षिक वर्ष सन्निरीक्षा का परिणाम सूचित किए जाने के दस दिन के पश्चात प्रारम्भ हुआ समझा जाएगा ।

टिप्पणी :– अघोषित परीक्षाफल घोषित होने के बाद किसी संस्था के उत्तर मध्यमा में प्रवेश पाने वाले छात्रों की उपस्थिति की गणना भी परीक्षाफल घोषित होने के 10वें दिन से की जायेगी।

(9) कोई छात्र जो संस्था के सत्र के किसी भाग में रहा है,उसकी उपस्थिति की परिगणना उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए वाँछित उपस्थिति के प्रतिशत के लिए पूर्व संस्था की उपस्थिति को परिगणित कर लिया जायेगा ।

(10) संस्था के प्रधान को, नितान्त असन्तोषजनक कार्य करने वालों को छोड़ कर परीक्षार्थियों को रोकने की अनुमति नहीं है,यदि उसने परिषद् की किसी परीक्षा में प्रवेश की शर्तों को पूरा कर लिया है ।

परन्तु इस विनियम के अधीन कक्षा की पूरी संख्या के दस प्रतिशत से अधिक छात्र नहीं रोके जायेंगे। संस्था का प्रधान छात्रों को रोकने के प्राधिकार का प्रयोग परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन सप्ताह पूर्व तक कर सकते हैं। इस के विरुध्द कोई अपील नहीं हो सकेगी।

(11) संस्था का प्रधान उन छात्रों को परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सकता है जो राष्ट्रीय कैडेट कोर में शारीरिक अभ्यास के लिए दी हुई वर्दियाँ,बिस्तर नहीं जमा करते अथवा परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व उनकी लागत नहीं जमा कर देते हैं।

(12) न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा । संस्था का प्रधान उपस्थिति में कमी का मर्षण निम्न प्रकार से कर सकता है :–

(क) प्रथमा अथवा पूर्व मध्यमा परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए 10 दिन,और

(ख) उत्तर मध्यमा के परीक्षार्थियों के लिए प्रत्येक विषय में दिये गये 10 व्याख्यान, कियात्मक व्याख्यानों सहित ।

उन परीक्षार्थियों के मामले में जिनकी एक वर्ष की उपस्थिति ही परिगणित होनी है,उप मर्षण की उनकी यह सीमा आधी अर्थात 5 दिन, अथवा पाँच व्याख्यान, जैसी स्थिति हो, रह जायेगी ।

विषय परिवर्तन

10.17–संस्था का प्रधान पूर्व मध्यमा–I अथवा उत्तर मध्यमा–I में एक ही वर्ग के भीतर अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विषय परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं । पूर्व मध्यमा–II अथवा उत्तर मध्यमा–II में एक ही वर्ग के भीतर अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग मे परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों के अधीन अनुत्तीर्ण अथवा वर्जित परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में विषय अथवा वर्ग परिवर्तन की अनुमति परिषद के सचिव द्वारा दी जा सकती है। परिषद् का सचिव सुसंगत अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात अनुमति देगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के प्रवेश के नियम

10.18–परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को सम्मिलित होने की अनुमति निम्न रूप से दी जा सकती है:–

(1) कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद् की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है, 14 अगस्त से पूर्व एक आवेदनपत्र विहित शुल्क सहित संस्था के प्रधान के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर परिषद के सचिव को अग्रसारित करेगा, जो परीक्षार्थी द्वारा भरे जाने वाले विहित प्रपत्र पर पंजी में प्रविष्टि करेगा ।

परिषद के सचिव को आवेदन पत्र निम्न प्रकार से अग्रसारित किया जायेगा :–

(क) पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा के लिए परीक्षार्थी द्वारा उत्तीर्ण अंकपत्रों एवं प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ख) परीक्षार्थी द्वारा अन्तिम संस्था का स्कूल छोड़ने के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ।

(ग) संस्था का प्रधान जो परिषद् द्वारा घोषित अग्रसारण अधिकारी है,व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अभिलेखों से सत्यापित करने के बाद परिषद् द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार परिषद् के सचिव को अग्रसारित करेगा । अपूर्ण अथवा अशुध्द आवेदन पत्र अग्रसारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जा सकते हैं तथा इसकी सूचना परिषद् के सचिव को भेज दी जायेगी । व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा के ठीक पूर्व प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा । ऐसे अग्रसारण अधिकारियों, जो अधूरे एवं अशुध्द आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, के विरूद्ध परिषद् के सचिव द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के मामले में जो कहीं सेवारत हैं,सम्बन्धित कार्यालय के अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र अभिप्रमाणित कराया जायेगा । नियोजन सम्बन्धी तथ्य छुपाना एक अपराध होगा और इसके आधार पर सघन जाँच के पश्चात–परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया जायेगा ।

(2) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए अग्रसारण अधिकारी को नियत मूल्य देकर आवेदनपत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

(3) अग्रसारण अधिकारी 25 रु0 विलम्ब शुल्क लेकर 31 अगस्त तक आवेदनपत्र स्वीकार कर सकते हैं ,किन्तु उनके द्वारा सम्यक रूप से परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर आवेदनपत्र 14 सितम्बर तक परिषद के सचिव तक अवश्य भेज दिया जाना चाहिए ।

(4) व्यक्तिगत परीक्षार्थी आवेदनपत्र परिषद् के सचिव को सीधे नहीं भेजेंगे। सचिव को सीधे भेजे जाने वाले सभी आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की पात्रता

10.19–कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी पूर्व मध्यमा परीक्षा में निम्नांकित प्रकार से सम्मिलित होगा :–

(1) वे परीक्षार्थी जो निम्नाँकित में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण किये हों परन्तु परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों :–

(क) प्रथमा परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश में हुई परीक्षा जिसे पहले हिन्दुस्तानी मिडिल परीक्षा के रूप में जाना जाता था अथवा उत्तर प्रदेश से भिन्न अन्य राज्यों द्वारा संचालित परीक्षा अथवा कोई अन्य समकक्ष परीक्षा ।

(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद् यू0पी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से कक्षा–8 परीक्षा अथवा इस शर्त पर कि विद्यालय मान्यता प्राप्त है तथा परीक्षायें मान्य हैं तथा कक्षा–8 की परीक्षा में संस्कृत विषय हो या उत्तर प्रदेश से बाहर की इसी प्रकार की समकक्ष परीक्षा ।

(ग) वे परीक्षार्थी जिन्होंने पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तर प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर की किसी संस्था से उत्तीर्ण की हो ।

(घ) आयु के सत्यापन के लिए अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाणपत्र,यदि कोई हो,अथवा नगर पालिका परिषद् अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा शपथपत्र पर प्रमाणित जन्म का प्रमाणपत्र । वे व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुए हों किन्तु अनुत्तीर्ण हो गये हों,उनका केन्द्र अधीक्षक के द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाएगा ।

(ङ) प्राइमरी स्कूल के अतिरिक्त किसी ऐसे परीक्षार्थी को, जो किसी संस्था में अध्ययन किया हो, पूर्व मध्यमा परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि अन्तराल की अवधि उस अवधि के बराबर न हो जाय जो अध्ययन के दौरान परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक हो।

(2) (क) यदि कोई परीक्षार्थी उस वर्ग की परीक्षा में बैठना चाहता हो जिसमें उसने पिछले कैलेण्डर वर्ष में 31 जुलाई के पश्चात् परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में अध्ययन किया हो, तो वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा ।

(ख) उपर्युक्त खण्ड में किसी बात के होते हुए भी परिषद् निम्नाँकित वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को प्रवेश दे सकती है :–

(एक) अपने माता पिता के स्थानान्तरण के कारण कोई परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रव्रजन किया हो ।

(दो) कोई परीक्षार्थी अपनी लम्बी बीमारी अथवा अपने माता,पिता की दुःखद मृत्यु अथवा इसी प्रकार की किन्हीं अकल्पित स्थितियों में नियमित छात्र रहने के योग्य न था ।

परन्तु ऊपर वर्णित दोनों प्रकार के मामलों में छात्र का नाम संस्था की नामावली से अन्तिम रूप से हटा दिया जायेगा,उसकी उपस्थिति 75% या इसके ऊपर होनी चाहिए। उपर्युक्त उपबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होंगे जिनके लिये केवल एक वर्ष की उपस्थिति परिगणित की जाती है ।

(3) व्यक्तिगत परीक्षार्थी विशेष विषय या विषयों में अध्ययन हेतु किसी भी संस्था में प्रवेश ले सकते हैं और अंशकालिक रूप से वहाँ अध्ययन कर सकते हैं।

राज्य के बाहर के परीक्षार्थी

10.20–परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर रहने वाले परीक्षार्थियों को परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है,परन्तु वे वर्तमान में अब भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों तथा कुछ पर्याप्त कारणों से अन्य राज्यों में अस्थायी रूप से प्रव्रजन कर गये हों । ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र उस राज्य के जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जायेगा जो यह प्रमाणित करेंगे कि परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

दस रुपये के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ आवेदन पत्र तथा परीक्षा के लिये नियत शुल्क 1 सितम्बर तक उस संस्था के प्रधान को भेजा जाना चाहिए जिसे परीक्षार्थी ने अपने अग्रसारण केन्द्र के रूप में चुना है । ऐसे आवेदन–पत्र जो परीक्षार्थी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिषद् के सचिव को सीधे भेजे गये हों, अस्वीकृत कर दिये जायेंगे ।

विषय एवं परीक्षा केन्द्र का परिवर्तन

10.21–साधारणतः व्यक्तिगत परीक्षार्थी को विषय अथवा केन्द्र परिवर्तित करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी ।

समकक्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होना

10.22–परिषद के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को परिषद् की अथवा किसी अन्य स्वायत्तशासी निकाय की समकक्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के प्रयोगात्मक कार्य का प्रमाणपत्र

10.23–उपर्युक्त विनियमों के होते हुए भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्रयोगात्मक कार्य के विषय को चुन सकते हैं,परन्तु उन्हें उन संस्थाओं में जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, प्रयोगात्मक कार्य करना होगा । उनको इस आशय का प्रमाण–पत्र जनवरी के अन्त तक प्रस्तुत करना होगा । ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी को, जो उसी परीक्षा में पिछले वर्ष अनुत्तीर्ण हो, उपर्युक्त प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी समिति

10.24—व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र जो संस्था के प्रधान द्वारा प्रस्तुत किये जाये, अध्याय—पाँच के विनियम 5.02 के उप विनियम (14) के अधीन नियुक्त समिति द्वारा सन्निरीक्षित किये जायेंगे । समिति व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है ।

अतिरिक्त विषयों में प्रवेश की पात्रता

10.25—उपर्युक्त विनियमों के होते हुए भी निम्नलिखित व्यक्तिगत परीक्षार्थी परिषद् की अतिरिक्त विषयों की परीक्षा में प्रविष्ट हो सकते हैं :—

(क) कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी जिसने प्रथमा तथा पूर्व मध्यमा परीक्षायें उत्तीर्ण की थी,उन परीक्षाओं में अतिरिक्त विषयों या वर्गों में प्रविष्ट हो सकता है । परन्तु उसका विकल्प एक वर्ग के विषयों तक सीमित रहेगा/रहेगी।

परन्तु यह भी कि वह उन विषयो को नहीं चुन सकता/सकती जिनमें वे पहले ही उत्तीर्ण है ।

(ख) कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी जिसने उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की थी,वह उत्तर मध्यमा परीक्षा में अतिरिक्त विषयों के साथ प्रविष्ट हो सकता है । परन्तु उसके द्वारा उन विषयों में जिसमें वह पहले ही उत्तीर्ण हो चुका/चुकी हो,से भिन्न विषयों को चुना गया हो ।

10.26—परिषद् द्वारा संचालित प्रथमा, पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा परीक्षायें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल,हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियट परीक्षाओं के समकक्ष होंगी ।

श्रेणियाँ

10.27—परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं उन्हें तीन श्रेणियों में से कोई एक श्रेणी प्रदान की जाएगी । कोई परीक्षार्थी 75% अथवा उससे अधिक कुल अंकों से उत्तीर्ण होता है, सम्मान सहित उत्तीर्ण हुआ दिखाया जायेगा ।

10.28—किसी भी परिस्थिति में किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में एक साथ नियमित तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

10.29—यदि कोई परीक्षार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उस विषय में 25% अथवा अधिक अंक अर्जित करता है तो उस विषय में समय—समय पर विनिश्चित नियमों के प्रकाश में 33% तक कृपाँक दिये जा सकते हैं ।

सन्निरीक्षा : प्रकिया

10.30—उन परीक्षार्थियों जो मुख्य परीक्षा में केवल एक विषय में 5% से अनधिक अंकों से अनुत्तीर्ण हो की उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन शुल्क अथवा आवेदन पत्र के साथ किया जायेगा। अन्य परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की सन्निरीक्षा निम्न प्रकार से की जायेगी :

(क) कोई परीक्षार्थी जो परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो,सन्निरीक्षा के लिए आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर सकता है ।

(ख) आवेदन—पत्रों के साथ रु0. 40.00 का बैंक ड्राफ्ट । राज्य के बाहर के परीक्षार्थी पोस्टल आर्डर अथवा भारतीय स्टेट बैंक का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो परिषद के सचिव के पक्ष में लखनऊ में देय हो, के रूप में शुल्क भेज सकते हैं ।

(ग) ऐसे सभी सन्निरीक्षा आवेदन—पत्र को परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर परिषद् के सचिव को रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(घ) सन्निरीक्षा के मामले में, जो परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रभावित करता है परीक्षार्थी को संसूचित किया जायेगा, किन्तु प्रभावित न होने के मामले में कोई संसूचना नहीं दी जायेगी ।

(ङ) सन्निरीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्याँकन नहीं किया जाता है सन्निरीक्षा में प्रश्न में अंक प्रदान करने, अग्रेनीत करने तथा अंकों के योग का पर्यवेक्षण किया जायेगा ।

शुल्क

10.31—(क) उ0प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन्, 2000 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन परीक्षा समिति की संस्तुति तथा परिषद् की कार्यकारिणी समिति के अवधारण पर परीक्षार्थियों से निम्नाँकित शुल्क लिए जायेंगे :—

(1) प्रथमा परीक्षा के लिए शुल्क

(2) पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क

(3) उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क

(4) मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक अतिरिक्त विषयों में सम्मिलित होने के लिए शुल्क

(5) सन्निरीक्षा शुल्क

(6) अंकपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क

(7) विलम्ब से भुगतान शुल्क

(8) प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क

(9) प्रमाण-पत्र में नाम परिवर्तन का शुल्क

(10) प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क

(11) प्रव्रजन प्रमाण-पत्र शुल्क

(12) संस्था के प्रधान के लिए परीक्षाफल की द्वितीय प्रति शुल्क

(13) व्यक्तिगत आवेदन-पत्र अग्रसारण शुल्क

(14) नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन-पत्र

टिप्पणी—जिस वर्ष में परीक्षा आयोजित की गयी थी उसकी 31 मार्च से तीन वर्ष के भीतर परिषद् के कार्यालय में प्रत्येक आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए । आवेदक को एक स्टाम्प लगे हुए कागज पर शपथपत्र देना होगा,जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा यथाविधि अभिप्रमाणित होना चाहिए जिसमें नाम परिवर्तन का वास्तविक कारण स्पष्ट किया जायेगा तथा जो एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगा। परीक्षार्थी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में तीन विभिन्न तिथियों में अपने नाम के परिवर्तन को विज्ञापित करेगा तथा उनकी प्रतियाँ आवेदनपत्र के साथ सलंग्न करेगा ।

(ख) उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के नाम परिवर्तन के आवेदनपत्र विभागाध्यक्ष द्वारा भेजे जायेंगे ।

(ग) उत्तर प्रदेश से भिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन, आवेदन–पत्र के माध्यम से किया जायेगा, यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया है तो उसकी सूचना परिषद् के सचिव को विभागाध्यक्ष अथवा संबंधित विभाग के सचिव द्वारा दी जायेगी ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा दिये गये नाम परिवर्तन के आवेदन पत्र के मामले में नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा, यदि इसी प्रकार का परिवर्तन केन्द्रीय सरकार द्वारा कर दिया गया है तो उसकी सूचना परिषद् को सम्बन्धित मंत्रालय के सचिव द्वारा तद्नुसार दे दी जायेगी ।

(ङ) यदि किसी परीक्षा के लिए नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो अन्य परीक्षाओं के प्रमाण–पत्र में, जो परीक्षार्थी को निर्गत हुये हों, अथवा निर्गत होने हों, बिना नये शपथपत्र के किन्तु विहित निर्धारित शुल्क जमा करने पर नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा ।

(च) नाम में परिवर्तन हेतु शपथ–पत्र तथा आवेदन पत्र यथास्थिति परीक्षार्थी के पिता अथवा परीक्षार्थी के अभिभावक द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा ।

शुल्क की वापसी

10.32–परिषद की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए एक बार भुगतान किया गया शुल्क निम्नलिखित शर्तो के अधीन को छोड़कर वापस नहीं किया जायेगा :–

(1) शर्तें जिनमें पूर्ण शुल्क की वापसी की जायेगी :–

(क) परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी की मृत्यु

(ख) कोई परीक्षार्थी जो आगामी परीक्षा के लिए विहित शुल्क देने के पश्चात उस परीक्षा में सन्निरीक्षा के फलस्वरूप अथवा अपने रोके हुए परीक्षाफल के मुक्त होने पर सफल घोषित कर दिया जाता है।

(ग) कोई परीक्षार्थी जिसने परीक्षा के लिए शुल्क को जमा किया था, परन्तु बीमारी के कारण उसमें सम्मिलित होने के योग्य नहीं है।

(2) शर्तें जिनमें 5.00रु0 कम करके शुल्क वापसी होगी :–

(क) आवेदन–पत्र अग्रसारण अधिकारी अथवा परिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है ।

(ख) जब परीक्षार्थी विहित शुल्क से अधिक धनराशि जमा कर दें ।

(ग) यदि परीक्षार्थी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलती से परिषद् की किसी परीक्षा के लिए शुल्क जमा कर दिया गया हो ।

टिप्पणी :–

(एक) "शुल्क" का तात्पर्य केवल परीक्षा शुल्क से है और उसमें विलम्ब शुल्क सम्मिलित नहीं है ।

(दो) शुल्क वापसी का आवेदनपत्र शुल्क जमा करने के दो वर्ष के भीतर ही परिषद् को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(तीन) शुल्क वापसी के लिए उस अभ्यर्थी के सम्बन्ध में किसी आवेदन–पत्र की आवश्यकता नहीं है जिसका आवेदनपत्र परिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो ।

शुल्क का स्थगन

10.33–कोई परीक्षार्थी जो किसी परीक्षा में सम्मिलित होने में असमर्थ रहा हो, निम्नाँकित दशाओं में शुल्क स्थगित रखकर प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है :–

परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान गम्भीर रूप से रुग्ण था तथा चिकित्सा प्राधिकारी ने परीक्षा में प्रविष्ट होने की उसकी असमर्थता प्रमाणित की हो । परीक्षार्थी के परीक्षा शुल्क स्थगित रखने का आवेदन–पत्र संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र अधीक्षक के माध्यम से परिषद् के सचिव के पास परीक्षा वर्ष की 1 मई तक पहुंच जाना चाहिए ।

टिप्पणी :–एक बार स्थगित किया गया शुल्क पुनःस्थगित नहीं किया जायेगा ।

प्रवेश–पत्र तथा प्राप्त करने का ढंग

10.34–परिषद् का सचिव आश्वस्त होने के उपरान्त कि परीक्षार्थी ने परिषद् की परीक्षा में अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है, केन्द्र अधीक्षक को प्रवेश–पत्र देगा तथा इसके पश्चात केन्द्र अधीक्षक परीक्षार्थी को प्राप्त करायेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्रवेश पत्र परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से 48 घन्टे पूर्व प्राप्त कर सकेंगे । ऐसा न करने पर उन्हें प्रतिदिन रु0 2.00 अर्थ दण्ड देना होगा ।

यदि परिषद् का सचिव आश्वस्त हो कि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है तो वह विहित शुल्क भुगतान कर दिये जाने पर उसकी द्वितीय प्रति दे सकता है ।

बहिष्करण एवं निष्कासन

इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी :–

(1) कोई परीक्षार्थी जो किसी शैक्षिक वर्ष के भीतर किसी समय बहिष्कृत कर दिया गया है, उसे उस शैक्षिक वर्ष में होने वाली किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(2) किसी ऐसे परीक्षार्थी को, जिसे आवेदन पत्र भेजे जाने के पश्चात संस्था से निष्कासित कर दिया गया है और जिसका किसी संस्था में प्रवेश नहीं हुआ है, उसे परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

स्पष्टीकरण –(क) यदि उपर्युक्त दण्ड उसे परीक्षा अवधि में अथवा उस शैक्षिक वर्ष के समाप्ति के पूर्व दिया जाता है जिसमें परीक्षा आयोजित हुई है, तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) कोई परीक्षार्थी जिसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो दण्डित अवधि के समाप्ति से पूर्व, उसे किसी परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अंक पत्र तथा प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति

10.36–विहित शुल्क के साथ आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर परिषद् किसी परीक्षार्थी को प्रमाण-पत्र तथा अंक-पत्र की दूसरी प्रति निम्नलिखित दशाओं में दे सकती है :–

(क) यदि अंक-पत्र अथवा प्रमाण पत्र खो गया हो ।

(ख) यदि अंक-पत्र अथवा प्रमाण–पत्र खराब, विरुपित अथवा कट–फट गया हो ।

(ग) यदि अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र धूमिल हो गये हों तो उन्हें परिषद् को निरस्त किये जाने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग के परीक्षार्थी को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि परीक्षार्थी 20 वर्ष से कम आयु का है तो शपथपत्र यथास्थिति, पिता अथवा अभिभावक द्वारा, निष्पादित किया जायेगा।

अग्रतर यह भी कि अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र खो जाने या विरूपित हो जाने के मामले में राज्य के दैनिक समाचार पत्र के एक संस्करण में उक्त स्थिति बताते हुए विज्ञापित कराना होगा और इस समाचार-पत्र की प्रति परिषद् को उपर्युक्त यथाअपेक्षित शपथपत्र के साथ प्रेषित करना होगा ।

अध्याय–ग्यारह

संस्कृत भाषा उन्नयन समिति

11.01–राज्य में संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं प्रसार हेतु निम्नानुसार एक समिति होगी :–

1–परिषद् का अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होगा,

2–परिषद् का सचिव समिति का संयोजक होगा,

3–अधिनियम की धारा –3 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबन्धित राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित नाम निर्दिष्ट व्यक्ति :–

(क) राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्कृत महाविद्यालय के दो प्रधानाचार्य।

(ख) तीन शिक्षा विद्।

(ग) दो उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें।

(घ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का कुलपति अथवा उनका नाम निर्देशिती ।

(ङ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के दो विभागाध्यक्ष ।

(च) निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें उत्तर प्रदेश ।

(छ) उप निदेशक (संस्कृत), उत्तर प्रदेश।

11.02–संस्कृत भाषा उन्नयन समिति संस्कृत भाषा एवं शिक्षा के उन्नयन से सम्बन्धित विषयों या मामलों में परिषद् को परामर्श उपलब्ध करायेगी, जैसा कि उसे परिषद् या परिषद् की किसी समिति द्वारा निदेशित किये जायें ।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
सचिव।